



## नए आईटी नयिम एवं सोशल मीडिया

यह एडिटरियल 20/04/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "It is a new assault on India's liberty" लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिमों में हालिया संशोधनों का मुक्त सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या परणाम होंगे।

### संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता\) \[Information Technology \(Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code\)\] नयिम या 'आईटी नयिम 2021' में एक नया संशोधन](#) पेश किया, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को झूठे या भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट को चहिनति करने के लिये एक 'फैक्ट चेक यूनिट' का सृजन करने की अनयितरति शक्ति प्रदान करता है।

- सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं (Social Media intermediaries) द्वारा उपयोगकर्ताओं को फ्लैग्ड सूचना को होस्ट या पब्लिश करने से रोक सकने की वफिलता के परणामस्वरूप उनकी 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) प्रतरिक्षा वापस ली जा सकती है, जो फरि उन्हें आपराधिक वाद के दायरे में ला सकती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- नया नयिम केंद्र सरकार को यह नरिधारति करने की शक्ति देता है कि कौन-सी सूचना झूठ या भ्रामक है और वे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से सेंसरशिप का प्रयोग कर सकते हैं। यह संवधान द्वारा गारंटीकृत मुक्त सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के वरिद्ध है।
- इंटरनेट युग में [भ्रामक सूचनाओं और फेक नयुज](#) का प्रसार एक प्रमुख समस्या है। इसके व्यक्तियों, समुदायों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के लिये भी गंभीर परणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में सरकार ने आईटी नयिमों में संशोधन के माध्यम से इस समस्या को संबोधित करने का प्रयास किया है। यद्यपि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन संशोधनों के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।

### आईटी नयिम क्या हैं?

- आईटी नयिम [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनयिम, 2000](#) से अपनी अधिकारिता प्राप्त करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिये वधिकि मान्यता प्रदान करता है।
- 'सेफ हार्बर' प्रावधान:
  - यह अधिनयिम उन मध्यवर्ती संस्थानों के लिये एक 'सेफ हार्बर' प्रदान करता है जो अपने कर्तव्यों के नरिहन में सम्यक तत्परता रखते हैं और राज्य द्वारा नरिधारति दशानरिदेशों का पालन करते हैं।
- मध्यवर्ती संस्थाएँ:
  - अधिनयिम की धारा 79 मध्यवर्ती संस्थाओं को प्रतरिक्षा प्रदान करती है, जब तक कि वे सम्यक तत्परता और राज्य-नरिधारति दशानरिदेशों का पालन करते रहते हैं।
  - मध्यवर्ती संस्थाओं में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- प्रथम प्रवर्तक (First Originator):
  - आईटी नयिम दायित्वों को मध्यवर्ती संस्थाओं पर लागू करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये आवश्यक बनाते हैं कि वे कुछ परस्थितियों में अपनी सेवा पर कसि भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करें।
  - आईटी नयिम कई तरह की चुनौतियों के अधीन रहे हैं और इस संबंध में कई याचिकाएँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वचाराधीन हैं।

### क्या हैं नए नयिम?

- वर्ष 2021 के आईटी नयिमों ने पछिले दशानरिदेशों को प्रतस्थापति कर दिया है और मध्यवर्ती संस्थाओं और डजिटल समाचार मीडिया को वनियमति करने का प्रयास किया है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये आवश्यक बनाया गया है कि कसि भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करें, जसिके नजिता को खतरा पहुँचता है।
- अपरैल 2023 में पेश किये गए संशोधन सरकार को स्वयं यह तय कर सकने की शक्ति देते हैं कि कौन-सी सूचना झूठ है और वे मध्यवर्ती संस्थाओं को फेक या झूठ समझी जाने वाली पोस्ट को हटाने के लिये वविश करने के रूप में सेंसरशिप की व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- नए नयिम वधान के बजाय कार्यकारी आदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रतबिंधित कर भारत में वाक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता को खतरे

में डालते हैं।

- [भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसे केवल अनुच्छेद 19(2) में नरिधारित आधार पर वधिद्वारा अपनाए गए उचित प्रतिबंधों के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है।
- फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना ऐसे आधार नहीं हैं जिन पर वाक् को सीमित किया जा सकता है, जबकि आईटी नियमों में कथि गए संशोधन उनके द्वारा लगाए गए कसि भी तरह के अवरोधों की चेतावनी नहीं देते हैं।
- 'फैक्ट चेक यूनिट' के पास यह तय करने की असीम शक्तियाँ हैं कि कौन-सी सूचना झूठी है और सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं को इन नषिकर्षों के आधार पर कार्रवाई करने के लयि मजबूर करती है, जो 'ओपन-एंडेड' और अपरभाषित हैं।

## संबद्ध चतिएँ

- **स्पष्ट परभाषाओं का अभाव:**
  - नए संशोधन फेक न्यूज़ को परभाषित करने में वफिल रहे हैं और सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को सरकार से संबद्ध 'कसि भी कार्य के संबंध में' कसि भी समाचार की सत्यता की घोषणा करने की अनुमत देते हैं।
  - अपरभाषित शब्दों का उपयोग, वशिष रूप से 'कसि भी कार्य' जैसे वाक्यांश सरकार को यह तय करने की अनरितरति शक्ति देते हैं कि लोग इंटरनेट पर क्या देख, सुन और पढ़ सकते हैं।
- **मानक अभ्यास नहीं:**
  - फेक न्यूज़ पर एक व्यापक संसदीय कानून, जो अनुच्छेद 19(2) की शर्तों पर आधारित हो, फेक न्यूज़ के वरिद्ध एक अधिक संवैधानिक रूप से प्रतिबिद्ध अभियान सिद्ध होता।
    - फ्रांस में, चुनाव के दौरान भ्रामक सूचना के प्रसार का मुकाबला करने के लयि घोषणाएँ करने का दायत्व स्वतंत्र न्यायाधीश को सौंपा गया है।
    - वधिक रूप से अधिनियमित विधान भ्रामक सूचना को हटाने के लयि कम प्रतिबिधकारी वकिल्पों पर वचिर करने में सक्षम होता।
- **सूचनाओं को हटाना:**
  - फैक्ट चेक यूनिट द्वारा गलत समझी जाने वाली सूचना को मध्यवर्ती संस्थाएँ हटा देगी; इस प्रकार, केवल राज्य को यह नरिधारित करने का अधिकार होगा कि सत्य क्या है।
  - नए नियम सरकार को स्वयं यह तय कर सकने की शक्ति देते हैं कि कौन-सी सूचना झूठ है और वे मध्यवर्ती संस्थाओं को फेक या झूठ समझी जाने वाली पोस्ट को हटाने के लयि वविश करने के रूप में सेंसरशिप की व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- **अधिकारों में कटौती:**
  - सत्ता से सवाल करने और सत्ता के समक्ष सच बोलने के प्रेस और व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाएँगे तथा नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाएगी।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का उल्लंघन:**
  - [शरया सधिल बनाम भारत संघ \(वर्ष 2015\)](#) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि वाक् को सीमित करने वाला कानून न तो संदिग्ध होने चाहिये, न ही व्यापक अनुप्रयोग योग्य ('neither be vague nor over-broad')।

## आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी समाधान (Technology Solutions):**
  - पूरी तरह से सेंसरशिप पर नरिभर रहने के बजाय सरकार और मध्यवर्ती संस्थाएँ भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज़ से निपटने के लयि प्रौद्योगिकी समाधानों में नविश कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लयि, गलत सूचना की पहचान करने और उन्हें फ्लैग करने के लयि एल्गोरदिम वकिसति कथि जा सकते हैं, जबकि फैक्ट-चेकगि वेबसाइटों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- **स्व-नियमन (Self-Regulation):**
  - फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लयि मध्यवर्ती संस्थाएँ स्व-नियामक उपाय भी कर कर सकती हैं।
  - इसमें कंटेंट की नगिरानी और गलत सूचनाओं को फ्लैग करने के लयि आंतरिक समितियों की स्थापना करना तथा परशिद्धता सुनिश्चित करने के लयि फैक्ट-चेकगि वेबसाइटों के साथ कार्य करना शामिल हो सकता है।
- **जन जागरण:**
  - सेंसरशिप के खतरों और वाक् स्वतंत्रता के महत्त्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है।
  - यह सोशल मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं और स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर चर्चाओं के माध्यम से कथि जा सकता है।
- **सहकार्यात्मक दृष्टिकोण:**
  - फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना की समस्या से निपटने के लयि सहकार्यता का दृष्टिकोण वकिसति करने के लयि सरकार, मध्यस्थ और नागरिक समाज संगठन मलिकर काम कर सकते हैं।
  - इसमें झूठी सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के लयि एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना करना तथा आम लोगों के बीच मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लयि दशानरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहति) नियम, 2021 में पेश कथि गए नए संशोधनों का आलोचनात्मक वशिलेषण कीजिये और उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

